हुक्मतारीख	हुक्म याकार्यवाहीअजइजिशियल्सजज हरसिंगाराम बनाम सरकार	

14.5.024

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा कीलवा पटवार हल्का किलवा तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर पुराने 455 रकबा 29 बीघा 12 बिस्वा का आया हुआ है पुराने खेत खसरा नम्बर 455 में कोई रास्ता वगेरह नहीं था जिसके खसरा नम्बर 452 है जो पुराने नक्शा ट्रैस से स्पष्ट है खसरा नम्बर 749,750,726/931, 734/949,948/950 रकबा क्रमशः 0.01,4.48,0.17,0.02,0.11,हैक्टयर नवसृजित हुए पैमाईश अधिकारियों ने पअने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर प्रार्थी के खेत के उत्तरी तरफ पड़ौस में रास्ता होने के उपरान्त भी प्रार्थी के खेत में रास्ता इन्द्राज कर दिया जो विधि विरूद्ध प्रार्थी के खेत में कोई रास्ता नहीं होने के उपरान्त भी रास्ता तरमीम कर दिया जिससे प्रार्थी के खेत के रकबे में मौके अनुसार कमी हो जायेगी जिससे प्रार्थी को अनावश्यक आर्थिक नुकसान होगा तथा अपूर्णीय क्षति होगी ऐसी सूरत में उक्त रास्ता नवीन खेत खसरा नम्बर 746 को पुनः पुराने नक्शे अनुरूप स्थापित किया जाना न्याय संगत है प्रार्थी को जानकारी उस समय हुई जब मौके पर जे.सी.बी. भिजवाकर प्रार्थी के खेत में से डामर सड़क निकालने की धमकी दी, चुकि उपरौक्त आराजी प्रार्थी की पैतृक सम्पति में पुराने रेकर्ड में रास्ता नहीं था वह रास्ता प्रार्थी के वर्तमान खेत खसरा नम्बर 726/931 के पड़ौस में उत्तरी तरफ का ऐसी सूरत में प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है प्रार्थी के खेत में रास्ता दर्ज नही के उपरान्त भी डामर सड़क निकाल ली तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी इस प्रकार तीनों मूलभूत कानूनी स्तंभ प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार होने से प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत एवं अधारहीन होने से प्रार्थी को प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमनें उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उलउब्ध दस्तावेजात का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश:—

अतः प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा कीलवा पटवार हल्का कीलवा तह–सांचौर के पुराने खेत खसरा नम्बर 455 नवीन खेत [illegible] नम्बर 750,726/931,734/949,[illegible]/950 की [illegible] मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये [illegible] नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.06.07 17:55:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner